

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर

निविदा संख्या 1/15 – कम्प्यूटर हार्डवेयर आपूर्ति के लिए तकनीकी निविदा प्रपत्र

1. फर्म का नाम व पता :-

2. पंजीयन संख्या :-

टिन सं.:-

(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. गत तीन वर्षों का टर्न ओवर :-

वर्ष

राशि

2013-14

.....

2012-13

.....

2011-12

.....

(अन्तिम लेखों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

4. निर्माता कंपनी का नाम और उसकी ओर से प्राप्त अधिकार पत्र की प्रति संलग्न करें

5. विज्ञप्ति में जारी स्पेसिफिकेशन के अनुसार प्रोजेक्ट का मॉडल नम्बर व उसकी विशेषताएं:-

6. संलग्न की गई अमानत राशिरुपए का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक का विवरण

7. निविदा शुल्क राशि. 500/- रुपए डी.डी./बैंकर्स चेक/नगद रसीद.....
दिनांक.....के द्वारा जमा करा दी गई है ।

8. तकनीकी निविदा के साथ फर्म द्वारा जिस मॉडल की दरें अंकित की गई हैं उनमें से न्यूनतम दर वाले मॉडल का एक सैम्पल ऑल-इन-वन जांच के लिए विभाग में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, जिसे वित्तीय निविदा खोलने के उपरान्त संबंधित फर्म को लौटा दिया जाएगा ।

9. संबंधित निविदा शर्तों का पढ़कर हस्ताक्षर किये गये ।



निविदादाता के हस्ताक्षर

संलग्नक:-

निविदा सं. 1/15 – Intel Pentium Dual Core/Quad core/i-3/i-5 All-in-One – Financial Bid

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक पता.....
2. किसको संबंधित किया गया:- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर
3. संदर्भ :- 1/15
4. निविदा शुल्क राशि: 500/- रूपए डी.डी./बैंकर चैक/नगद रसीद.....
दिनांक.....के द्वारा जमा करा दी गई है ।
5. विभाग द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या 1/15 में वर्णित सभी शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
6. निम्नलिखित मदों में सप्लाय के लिए दरें निम्न प्रकार होगी :-

क्र. सं.	वस्तु का नाम मय विवरण	अनुमानित संख्या	दर प्रति नग	
			(अंको में)	(शब्दों में)
1	Intel Pentium Dual core All-in-one	100		
2	Intel Pentium Quad core All-in-one			
3	Intel Pentium i-3 All-in-one			
4	Intel Pentium i-5 All-in-one			

7. बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्यादिनांक.....
जोपर आहरित किया गया है । राशि रु.....
के लिए बयाना राशि के पेटे संलग्न किया गया है ।
8. बिक्री कर समाशोधन प्रमाण पत्र, अधिकृत विक्रेता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं।
9. सामग्री की आपूर्ति एवं इन्स्टालेशन जयपुर में की जावेगी तत्पश्चात राज्य के सभी जिलों में स्थित विभागीय कार्यालयों में ऑन साईट वारन्टी प्रदान जावेगी

संलग्न :- Annexure- A पर दिये गये Specification के अनुसार

Handwritten signature

निविदादाता के हस्ताक्षर

Tender No.1/15

Annexure 'A'

Intel Pentium Dual Core/Quad Core /i-3/i-5 - Configuration

Operating System	Win 8.1 SL or Professional
PROCESSOR	Intel Pentium Dual Core/ Quad core /i-3/i-5 or higher
MEMORY	4 GB 1600 MHz DDR3L or more
STORAGE	500 GB 7200 rpm SATA or higher
DISPLAY	18.5" LED backlight or bigger
Graphics	Intel HD Graphics
WARRANTY	3-year on-site
AUDIO	High Definition Audio 5.1
CONNECTIVITY	Gigabit Ethernet or better
INPUT	
Pointing Device	USB optical mouse
Keyboard	USB
COMMUNICATION	Wireless 802.11 B/G/N
WEBCAM	Integrated HD Live Cam
CARD READER	4 in 1 or better
OPTICAL DISK DRIVE	SuperMulti DVD Burner or better
PORTS/SLOTS	4 USB or more



निविदा शर्तें

1. निविदादाता द्वारा दरे उचित स्थान पर अंकों एवं शब्दों दोनों में लिखनी चाहिये। निविदा के प्रत्येक पृष्ठ एवं कांट छांट पर निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र स्याही या टंकण से भरा जावेगा। पेंसिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. मोहर बन्द निविदा प्रपत्र (तकनीकी एवं वित्तीय पृथक पृथक लिफाफे में) मय बयाना राशि (अर्नेस्टमनी) दिनांक 9 मार्च, 2015 को दोपहर 2:00 बजे तक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के कार्यालय में रखे हुये टेण्डर बॉक्स में पहुंच जानी चाहिये और उसी दिन सांय 3:00 बजे निविदायें खोली जावेगी।
3. निविदादाता का / उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार का अनर्हता होगी।
4. यदि निविदादाता ऐसी शर्त आरोपित करता है, जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जावेगा। किसी भी दशा में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा, जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
5. क्रय समिति किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन कार्यों के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक संस्था/एजेन्सी से अधिक को कार्य वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।
6. संस्था/एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत निविदाओं पर क्रय समिति द्वारा विचार किया जावेगा। इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।
7. निविदाये उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधिमान्य होगी।
8. असफल निविदादाता को बयाना राशि एक माह में (निविदा स्वीकृति होने की तिथि से) वापस कर दी जायेगी।

9. करार एवं प्रतिभूति निक्षेप:—

- (1) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार निर्धारित पंजीयन शुल्क के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिस कार्य के लिये निविदायें स्वीकार की गई है उनके मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि नगद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/चालान की रसीद प्रति/बैंक गारन्टी के रूप में जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति राशि प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है 7 दिवस के भीतर जमा करायी जायेगी। साथ ही आपूर्तिकर्ता को विभाग के साथ एक करार करना होगा।

- (अ) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

(ब) प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद यदि कोई देय बकाया नहीं है, तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जावेगी।

(2) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम नहीं होगी।

(3) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा।

(4) जब विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार मदों की सप्लाई प्रारम्भ करने में असफल रहता हो तो अमानत राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

10. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्न लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:-

(1) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अभि प्रमाणित प्रति।

(2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या व उसका वर्ष

11. पंजीकृत कंपनी के मामले में कंपनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र :-

(1) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में अनुबंधित एजेन्सी/संस्था द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।

(2) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जावेगा, जब तक कि इसकी समस्त शर्तों को मनाने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्त स्वीकृति के लिये ठेकेदार की रसीद बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भागीदार को रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगा।

12. आपूर्तिकर्ता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के नहीं सौपेगा या उप भाड़े (सबलैट) पर नहीं देगा।

13. सरकार द्वारा विहित सेवा कर (सर्विस टैक्स) एवं अन्य सभी कर आदि आपूर्तिकर्ता द्वारा ही वहन किये जावेंगे।

14. भुगतान अग्रिम नहीं किया जावेगा, जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाये। कार्य के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

15. बयाना राशि का समपहरण, बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहत कर लिया जायेगा

(1) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है, उसमें उपान्तरण करता है।

(2) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हों।

(3) जब निविदादाता आपूर्ति के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हों।

(4) जब वह विहित समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता हो।

Verap

16. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :-

प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जावेगा ।

- (1) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो ।
 - (2) जब निविदादाता सम्पूर्ण सफ़लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो ।
 - (3) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जावेगा । इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।
17. आपूर्तिकर्ता द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने पर उसे 15 दिवस का नोटिस देकर आपूर्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा ।
18. आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में या अन्य कोई त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को होगा ।
19. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामलों को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा, जो इस विवाद के लिये एक मात्र मध्यस्थ के रूप में अपने वरिष्ठतम अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।
20. कोई भी डीलर / फर्म जहां उसका व्यवसाय स्थित है । बिक्री कर वैट पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्री कर वैट शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा, तथा इसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जाएगा ।
21. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर उद्धृत की जायेगी ।
22. प्रदाय की जाने वाली वस्तुएँ निविदा में निर्धारित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होंगी ।
23. निविदा के साथ नियमानुसार बयाना राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में प्रस्तुत की जाएगी । इसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।
24. उन फर्मों को जो निदेशक, उद्योग विभाग राजस्थान के पास पंजीकृत है, उन मदों के संबंध में जिनके लिए वे उक्त रूप से रजिस्टर्ड की गई है, उनके द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति किसी विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर बयाना राशि में नियमानुसार छूट होगी ।
25. फर्म का विगत वर्ष का टर्न ओवर रुपये दो करोड या अधिक होना चाहिए ।
26. पिछले तीन वर्ष की बैलेंस शीट सीए द्वारा प्रमाणित संलग्न करें ।
27. दिये गये आदेशानुसार सामग्री की आपूर्ति 30 मार्च 2015 से पूर्व करनी होगी । तथा **Installation** किया जाकर संतोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा ।
28. विनिर्माता एवं अधिकृत डीलर ही निविदा प्रस्तुत करने के पात्र होंगे ।
29. सर्विस सेन्टर की सूची संलग्न की जावें । ऐसे निर्माताओं को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी जिनके राज्य के सभी/अधिकांश जिलों में सर्विस सेन्टर कार्यरत हों ।
30. नवीनतम **Manufactures Authorization Form** संलग्न किया जावें ।
31. सभी हार्डवेयर संबंधित शिकायते कम्पनी इंजीनियर या कम्पनी द्वारा अधिकृत सर्विस प्रदाता के इंजीनियर द्वारा अटेन्ड की जावेगी ।

huap

32. सभी हार्डवेयर संबंधित शिकायतें 24 घण्टों के भीतर अटेंड की जावेगी तथा 48 घण्टों के अन्दर उसका निस्तारण किया जायेगा अन्यथा 100/- प्रति दिन पेनल्टी देय होगी ।
33. सामग्री आपूर्ति से पहले सामग्री मूल्य का 10 प्रतिशत राशि की बैंक गारन्टी प्रस्तुत करनी होगी ।
34. प्रत्येक सामग्री के लिए निर्माता कंपनी की ओर से दर्शायी गई तकनीकी विशेषताएं एवं मॉडल नम्बर दिये जावें ।
35. VAT अतिरिक्त दर्शाया जावे ।
36. निविदादाता सम्बन्धित निविदा शर्त प्रपत्र पर अपने हस्ताक्षर कर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के साथ संलग्न करें ।
37. विभाग द्वारा आपूर्ति किए जाने वाली सामग्री को 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है ।
38. निविदा में अंकित सामग्री में से किसी भी सामग्री की मात्रा को कम अथवा शून्य किया जा सकता है, इसका पूर्ण निर्णय करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

